

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. विशाल गुप्ता पुत्र श्री चतुर्भुज गुप्ता, विक्रेता व मैनेजर, मैसर्स लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, सदर बाजार, सिरोही, जिला- सिरोही, स्थाई पता:-कुम्हारवाडा, सिरोही
2. चतुर्भुज गुप्ता पुत्र श्री रामलाल गुप्ता, मालिक/प्रोपराईटर, मैसर्स लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, सदर बाजार, सिरोही, जिला-सिरोही, स्थाई पता:-कुम्हारवाडा, सिरोही

F.S.S.Act Case No.06/2026

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

—: निर्णय :-

दिनांक 24 मार्च, 2026

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। आवेदक श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा दिनांक 04-8-2025 को मैसर्स लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, सदर बाजार, सिरोही में प्रतिवादी मैनेजर/विक्रेता विशाल गुप्ता पुत्र श्री चतुर्भुज गुप्ता, निवासी- कुम्हार वाडा, सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) का नमूना संख्या S-2763, निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर के विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र क्रमांक:1891F/FSSA/2025 दिनांक 17-12-2025 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी अभियुक्तगण पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रतिवादी चतुर्भुज गुप्ता पुत्र श्री रामलाल गुप्ता को नोटिस की तामिल होने के बावजूद उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 18-3-2026 को प्रतिवादी विशाल गुप्ता पुत्र श्री चतुर्भुज गुप्ता ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। प्रकरण में नियत तिथि को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नहीं हुये। प्रतिवादी विशाल गुप्ता द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विधि अनुरूप निस्तारण किया जा रहा है।

(3) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 04-8-2025 को समय 05-10 पी.एम. पर खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु मैसर्स लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, सदर बाजार, सिरोही, तहसील व जिला- सिरोही पर गये, वहां पर मैनेजर एवं विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी विशाल गुप्ता पुत्र श्री चतुर्भुज गुप्ता, निवासी- कुम्हारवाडा, सिरोही उपस्थित मिले। श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा



.....पेज दो पर
प्रांत. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

अधिकारी द्वारा मैसर्स लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, सदर बाजार, सिरौही की दुकान के निरीक्षण के दौरान लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, सदर बाजार, सिरौही की दुकान के अन्दर एक एल्युमिनियम की ट्रे में लगभग 10 किलोग्राम खाद्य पदार्थ मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) रखा हुआ पाया, जिसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में गवाह श्री चन्दनदास, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के समक्ष प्रतिवादी विक्रेता/मैनेजर विशाल गुप्ता पुत्र श्री चतुर्भुज गुप्ता को भरकर दी एवं मैसर्स लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, सदर बाजार, सिरौही की दुकान के एल्युमिनियम की ट्रे में आमजन के बिक्री हेतु रखे हुये खाद्य पदार्थ मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) लगभग 10 किलोग्राम में से 02 (दो) किलोग्राम खाद्य पदार्थ मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) को प्रतिवादी विक्रेता/मैनेजर विशाल गुप्ता पुत्र श्री चतुर्भुज गुप्ता से उक्त गवाह के समक्ष एक साफ, सूखे व खाली बर्तन में कीमतन क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 640/- (अक्षरे रुपये छः सौ चालीस मात्र) प्रतिवादी विशाल गुप्ता पुत्र श्री चतुर्भुज गुप्ता को नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने खरीद शुदा मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) को हिलामिलाकर एकरूप करके, प्रतिवादी विक्रेता विशाल गुप्ता पुत्र श्री चतुर्भुज गुप्ता एवं उक्त गवाह के समक्ष चार साफ, सूखी, खाली प्लास्टिक की बोतलों में बराबर बराबर मात्रा में डाला एवं चारों नमूना बोतलों में 40-40 बूंदे फार्मेलीन की डालकर इन चारों नमूना बोतलों को अलग अलग ढक्कन लगाकर एयरटाइट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने लेबल तैयार का लेबल पर नमूना लेने की दिनांक, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ का विवरण मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) एवं अभिहित अधिकारी के कोड एवं क्रमांक S-2763 आदि अंकित कर लेबलों पर प्रतिवादी विक्रेता विशाल गुप्ता पुत्र श्री चतुर्भुज गुप्ता व गवाह के हस्ताक्षर करवाते हुए आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये तथा खरीदशुदा मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) की उक्त चारों नमूना बोतलों पर एक-एक लेबल नियमानुसार गोंद से चिपकाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने चारों नमूना बोतलों को अलग अलग कागज में लपेट कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) की चारों नमूना बोतलों को विधिवत सील चपड़ी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) की चारों नमूना बोतलों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता विशाल गुप्ता पुत्र श्री चतुर्भुज गुप्ता व गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत के हस्ताक्षर किये हुये हैं। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने कार्यालय में पहुँचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बन्द किया व नियमानुसार सील चपड़ी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो-दो प्रतियां, दो लिफाफो में अलग-अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपड़ी किया। श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 06-08-2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा भावना, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही) को दिनांक 04-08-2025 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार,

.....पेज तीन पर

पति. जिला पब्लिक

सिरौही-307001.



पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, सदर बाजार, सिरौही, तहसील व जिला- सिरौही में प्रतिवादी विक्रेता विशाल गुप्ता पुत्र श्री चतुर्भुज गुप्ता से खाद्य पदार्थ मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) (नमूना संख्या S-2763) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) के नमूना संख्या S-2763 की खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1269/Act/2025/1269 दिनांक 13-08-2025 में खाद्य पदार्थ मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) का नमूना अमानक (sub-standard) पाया गया है। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही द्वारा प्रतिवादी विशाल गुप्ता को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित कर उक्त जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में नमूनें के द्वितीय भाग की रेफरल लेब से जांच करवाने हेतु प्रपत्र 8 में अपील आवेदन प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। जिस पर प्रतिवादी विशाल गुप्ता के अपील आवेदन पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) द्वारा खाद्य पदार्थ मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) (नमूना संख्या S-2763) के द्वितीय भाग को जांच हेतु निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर को भिजवाया गया। प्रकरण में निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर से प्राप्त विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र क्रमांक:1891F/FSSA/2025 दिनांक 17-12-2025 में खाद्य पदार्थ मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) का नमूना संख्या S-2763, अमानक (sub-standard) पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मैसर्स लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, सदर बाजार, सिरौही का मालिक व प्रोपराईटर चतुर्भुज गुप्ता पुत्र रामलाल गुप्ता (प्रतिवादी संख्या 2) है। इस प्रकार, पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी चतुर्भुज गुप्ता पुत्र श्री रामलाल गुप्ता की प्रोपराईटरी फर्म मैसर्स लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, सदर बाजार, सिरौही में प्रतिवादी विक्रेता विशाल गुप्ता पुत्र श्री चतुर्भुज गुप्ता द्वारा अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) (नमूना संख्या S-2763) के विक्रय हेतु प्रतिवादी श्री चतुर्भुज गुप्ता पुत्र श्री रामलाल गुप्ता, मालिक एवं प्रोपराईटर, मैसर्स लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, सदर बाजार, सिरौही, जिला- सिरौही, स्थाई पता- कुम्हारवाडा, सिरौही, जिला- सिरौही पर राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी विशाल गुप्ता तथा चतुर्भुज गुप्ता, मैसर्स लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, सदर बाजार, सिरौही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरौही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
निर्णय आज दिनांक 24 मार्च, 2026 को सर-ए-ईजलास मुनाया गया।



(डॉ. राजेश गोयल)

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट

सिरौही-307001.